Title: Competition (Amendment) Bill, 2022

माननीय सभापति : प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move:

?That the Bill further to amend the Competition Act, 2002 be taken into consideration.? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u> ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

? (Interruptions)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u> <u>खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

?(व्यवधान)

Clause 3 Amendment of Section 2

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं? ?(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

? Page 2, lines 20 and 21,-

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u> <u>खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u> ?(व्यवधान)

Clause 4 Amendment of Section 3

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत कीजिए।

?(व्यवधान)

Amendment made:

Page 3, line 9,-

for ?actively participates?

substitute ?participates or intends to participate?. (3)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

?Page 3, line 7,-

after ?engaged?

insert ?, directly or indirectly,?.

(15)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 Amendment of Section 5

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 4, line 8, -

for ?a party to the transaction?

substitute ?being acquired, taken control of, merged or amalgamated?. (4)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 Amendment of Section 6

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 5, *omit* lines 38 to 43. (5)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि खंड 7, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

<u>खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

खंड 12 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 15 Amendment of Section 20

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 8, for lines 38 and 39,-

substitute

?(b) In sub-section (3), for the words, ?by notification, enhance or reduce, on the basis of the wholesale price index or fluctuations in exchange rate of rupee or foreign currencies, the value of assets or the value of turnover?, the words, ?enhance or reduce by notification, or keep at the same level, on the basis of the wholesale price index or fluctuations in exchange rate of rupee or foreign currencies, or such factors that in its opinion are relevant in this matter, the value of assets or the value of turnover or value of transaction? shall be substituted;?. (6)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 16 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति: ये सब करने के लिए जनता ने आप लोगों को यहां पर भेजा है?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: क्या आप लोगों को यही करने के लिए भेजा है?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या फिर जीत कर नहीं आओगी?

? (व्यवधान)

Clause 20 Amendment of Section 27

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या ७ और ८ प्रस्तुत कीजिए।

? (व्यवधान)

Amendments made:

Page 10, line 9,-

for ?Explanation.?

substitute ?Explanation 1.?. (7)

Page 10, after line 11,-

insert ?Explanation 2. ? For the purposes of this clause,

"turnover" means global turnover derived from all the products

and services by a person or an enterprise.'. (8)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 20, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

खंड 20, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 21 Amendment of Section 29

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या १ प्रस्तुत कीजिए।

? (व्यवधान)

Amendment made:

Page 10, line 16,-

for ?twenty days?

substitute ?thirty days?. (9)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 21, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 21, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 23 Amendment of Section 31

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत कीजिए।

? (व्यवधान)

Amendment made:

Page 12, *omit* lines 7 to 11.

(10)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 23, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 23, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया । खंड 24 और 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 26 Amendment of Section 41

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत कीजिए ।

? (व्यवधान)

Amendment made:

Page 14, for lines 10 and 11,-

substitute

?the bankers, and persons employed as auditors and legal

advisers, by such person;?.

(11)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 26, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

खंड 26, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया । खंड 27 से 39 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 40 Amendment of Section 53N

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत कीजिए।

Amendments made:

Page 18, for lines 26 to 29,-

Substitute ?(a) in sub-section (1), for the words, brackets, figures and letter?

under sub-section (2) of section 53Q of the Act, and to pass an order for

the recovery of compensation from any enterprise for any loss or damage shown to have been suffered, by the Central Government or a State Government or a local authority or any enterprise or any person as a result of any contravention of the provisions of Chapter II, having been committed by enterprise.?, the words, brackets, figures and letters ?under sub-section (2) of section 53Q or the orders of the Supreme Court in an appeal against the findings of the Appellate Tribunal under section 53T or an order for settlement passed under section 48A, and to pass an order for the recovery of compensation from any enterprise for any loss or damage shown to have been suffered, by the Central Government or a State Government or a local authority or any enterprise or any person as a result of any contravention of the provisions of Chapter II, having been committed by enterprise or as a result of order of settlement passed by the Commission" shall be substituted;?.

(12)

Page 18, line 31,-

after ?or the Supreme Court?

insert ?, or an order for settlement?. (13)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

ृकि खंड 40, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 40, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।</u>

<u>खंड 41 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

Clause 1 Short title and Commencement

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कीजिए ।

Amendment made:

Page 1, line 3,-

for ?2022?

substitute ?2023?. (2)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

ृकि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड दिया गया ।

Enacting Formula

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कीजिए ।

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for

?Seventy-third?

substitute

?Seventy-fourth?.

(1)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I beg to move:

?That the Bill, as amended, be passed.?

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>